

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5751

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2015/भाद्र 26, 1937

No. 575] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2015/BHADRA 26, 1937

## खान मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2015

सा.का.नि. 715(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9ख की उप-धारा (5) और (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनन पट्टा अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा धारक द्वारा, स्वामिस्व के अतिरिक्त, उस जिले, जिसमें खनन संक्रियाएं की जाती हैं, में संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा स्थापित जिला खनिज संस्थान में संदाय किए जाने वाली रकम विनिर्दिष्ट करने वाले निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

- 1. संक्षिप्त नाम और आरंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान और खनिज (जिला खनिज संस्थान में अभिदाय) नियम, 2015 है।
  - (2) ये 12 जनवरी, 2015 को प्रवृत हुए माने जाएंगे।
- 2. जिला खनिज संस्थान में अभिदाय की जाने वाली रकम.—प्रत्येक खनन पट्टा अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा का धारक, स्वामिस्व के अतिरिक्त, उस जिले, जिसमें खनन संक्रियाएं की जाती हैं, के जिला खनिज संस्थान में निम्नलिखित दर पर रकम का संदाय करेगा—
  - (क) 12 जनवरी, 2015 को अथवा उसके पश्चात प्रदान किया गया, यथास्थिति, खनन पट्टा अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा के संबंध में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की दूसरी अनुसूची के संबंध में संदाय किए गए स्वामिस्व का दस प्रतिशत; और
  - (ख) 12 जनवरी, 2015 से पहले प्रदान किए गए खनन पट्टों के संबंध में उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के संबंध में संदाय किए गए स्वामिस्व का तीस प्रतिशत।

फा. सं. 16/7/2015-एम.VI]

आर. श्रीधरंन, अपर सचिव

## MINISTRY OF MINES

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th September, 2015

- G.S.R. 715(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (5) and (6) of Section 9B of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules specifying the amount to be paid by holder of a mining lease or a prospecting licence-cum-mining lease, in addition to the royalty, to the District Mineral Foundation of the district established by the concerned State Government by notification, in which the mining operations are carried on, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called as the Mines and Minerals (Contribution to District Mineral Foundation) Rules, 2015.
  - (2) These rules shall be deemed to have come into force on the 12th day of January, 2015.
- 2. Amount of contribution to be made to District Mineral Foundation.—Every holder of a mining lease or a prospecting licence-cum-mining lease shall, in addition to the royalty, pay to the District Mineral Foundation of the district in which the mining operations are carried on, an amount at the rate of
  - (a) ten per cent of the royalty paid in terms of the Second Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) (herein referred to as the said Act) in respect of mining leases or, as the case may be, prospecting licence-cum-mining lease granted on or after 12th January, 2015; and
  - (b) thirty per cent of the royalty paid in terms of the Second Schedule to the said Act in respect of mining leases granted before 12th January, 2015.

[F. No. 16/7/2015-M.VII

R. SRIDHARAN, Addl. Secv.